



रायपुर विकास प्राधिकरण

न्यू राजेन्द्रनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492006

Web Site - <https://rdacgstate.gov.in>, टोलफ्री नंबर : 1800-233-7188

rdaraipur.cgstate.gov.in

संपत्ति विक्रय हेतु नियम एवं शर्तें समस्त संपत्तियों के लिए

रायपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में विक्रय हेतु उपलब्ध संपत्तियों के विक्रय के संबंध में नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- (1) निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपए 500 + GST (प्रचलित) है, जिसका निविदा की धरोहर राशि के साथ ऑनलाईन भुगतान करना होगा। निविदा प्रपत्र की राशि का न तो समायोजन किया जाएगा और ना ही यह राशि वापस की जाएगी।
- (2) नियमानुसार EWS फ्लैट हेतु रु. 20000/-, LIG फ्लैट हेतु रु. 50000/-, EWS रो-हाउस हेतु रु. 30000/- व अन्य (भुखण्ड व दुकान/हॉल/रो हाउस) हेतु घोषित मूल्य की 10% राशि ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ (NEFT/RTGS/NET BANKING/DEBIT CARD/CREDIT CARD/UPI) के माध्यम से जमा किया जावेगा। धरोहर राशि प्राप्त होने पर ही आवेदन/ऑफर स्वीकार किया जावेगा, नियत समयावधि में सम्पूर्ण धरोहर राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पंजीयन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (3) EWS भवन/फ्लैट हेतु परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3.00 लाख तक एवं LIG भवन/फ्लैट हेतु 3.01 से 6.00 लाख तक निर्धारित है। परिवार छत्तीसगढ़ का निवासी हो तथा किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान न हो।
- (4) निविदा प्रपत्र विक्रय करने की तिथियां, निविदा जमा करने की तिथि व समय, निविदा खोले जाने की तिथि व समय का अलग से इस वेबसाइट में उल्लेख किया गया है। निविदा की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन होगी, किसी भी प्रकार से मैन्युअल आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- (5) (अ) प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं के लिए आरक्षण नियमों के अनुसार होगा, जिसमें (1) अनु. जनजाति 4% (2) अनुसूचित जाति 6% (3) पिछड़ा वर्ग 6% (4) मंडल कर्मचारी 1% (5) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 1% (6) सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2% (7) दिव्यांग (PWD) के लिए 3% (8) निराश्रित एवं विधवा महिलाओं के लिए 2% (9) तृतीय लिंग समुदाय/एच.आई.वी. संक्रमित 2% (10) पत्रकार 2% (11) शासकीय कर्मचारी (रायपुर हेतु) 5% (12) शासकीय कर्मचारी (अन्य नगर हेतु) 3% आरक्षित वर्ग में आबंटन किया जावेगा। 03 विज्ञापन पश्चात् रिक्त सभी भवन अनारक्षित श्रेणी में होंगे।
(ब) आवेदक द्वारा ऑनलाईन पंजीयन करते समय यदि आरक्षित वर्ग का चयन किया जाता है तो वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- (6) निविदा प्रपत्र यदि किसी कंपनी या फर्म के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो संलग्न दस्तावेजों में फर्म का रजिस्ट्रेशन, भागीदारी तथा अधिकारिता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (7) ऑफर में उच्चतम प्राप्त दर (ऑफर) का निर्णय होने तक धरोहर राशि बिना ब्याज के रायपुर विकास प्राधिकरण के पास जमा रहेगी।
- (8) संपत्तियों के ऑनलाईन ऑफर आमंत्रण हेतु केवल 01 विकल्प दिया जावेगा, जिससे ऑनलाईन ऑफर में प्राप्त अधिकतम/उच्चतम राशि (जो प्राधिकरण सॉफ्टवेयर में निर्धारित तिथि में ऑनलाईन ऑफर खुलने पश्चात् स्वतः प्रदर्शित होगा) ऑफरकर्ता को मान्य होगा।
- (9) एक संपत्ति हेतु दो अथवा अधिक ऑफरकर्ताओं द्वारा एक समान ऑफर दर देने पर, ऐसे ऑफरकर्ता जिनके द्वारा प्राधिकरण खाते में पंजीयन/ धरोहर राशि, तिथि एवं समय के आधार

पर सर्वप्रथम जमा किया गया हो, प्राधिकरण सॉफ्टवेयर द्वारा रिपोर्ट में प्रदर्शित होगा एवं तदनुसार ऑफर स्वीकृत किया जावेगा।

- (10) ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा ऑफर खुलने के पूर्व ही किसी कारणवश आवेदन निरस्त कर जमा धरोहर राशि वापसी हेतु निवेदन किया जाता है तो जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
- (11) ऑफर स्वीकृति पश्चात् धरोहर राशि फ्लैट/भुखण्ड व दुकान/हॉल/रो-हाउस के मूल्य में समायोजित की जावेगी। पंजीयन/ऑफर स्वीकृत होने के पश्चात् यदि हितग्राही द्वारा जमा राशि वापस मांग की जाती है तो जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी, एवम शेष जमा राशि (यदि जमा किया गया हो तो) बिना ब्याज के वापस की जावेगी।
- (12) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त निविदा प्रपत्रों के परीक्षण व स्वीकृति के उपरांत संपत्ति का आबंटन पत्र जारी किया जाएगा।
- (13) आबंटन पत्र में भुगतान के संबंध में निर्धारित राशि व उसकी तिथियों का उल्लेख होगा। जिसका अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। अपालन की स्थिति में आबंटन रद्द माना जाएगा।
- (14) निविदादाता को संपत्ति के आबंटन की सूचना ऑनलाईन व एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
- (15) संपत्तियों के विक्रय के संबंध में यदि निविदाकर्ता/आबंटित बैंक या किसी अन्य वित्तदायी संस्था से ऋण लेना चाहता है तो इस हेतु प्राधिकरण द्वारा ट्रॉई पार्टी एग्रीमेंट किए जाने का प्रावधान है। आबंटित ऋण लेने हेतु ट्रॉई पार्टी एग्रीमेंट के लिए यथा समय प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- (16) आबंटन आदेश के अनुसार निर्धारित समयावधि में राशि का भुगतान करना होगा। निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर बकाया राशि पर विलम्ब की स्थिति में 12% (बारह प्रतिशत) सरचार्ज राशि का भुगतान आबंटन आदेश में उल्लेख अवधि में करना होगा। भुगतान नहीं होने की स्थिति में बिना किसी सूचना के आबंटन निरस्त माना जाएगा।
- (17) हितग्राही को फ्लैट व दुकान/हॉल/रो-हाउस की रजिस्ट्री एवं आधिपत्य फ्लैट व दुकान/हॉल/रो-हाउस निर्माण पूर्ण होने पर दिया जावेगा अथवा अधिकतम 05 वर्ष की अवधि में दिया जावेगा। आबंटित संपत्ति हेतु प्राधिकरण द्वारा योजना कार्यदेश जारी होने के 05 वर्ष की अवधि में पूर्ण की जावेगी। योजना में विलम्ब की स्थिति में संपदा अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी से देय किश्तों का पुनः निर्धारण अनुमोदित कराते हुए हितग्राहियों को सूचित किया जावेगा।
- (18) भवन के डिजाइन तथा स्पेशीफिकेशन प्राधिकरण द्वारा ही तय किये जायेंगे, बुकलेट में दर्शाये गए स्पेशीफिकेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए प्राधिकरण स्वतंत्र है, इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा।
- (19) निर्माण पूर्णता पश्चात् प्राधिकरण अधिकारी द्वारा जारी अंतिम आबंटन आदेश के अनुसार फ्लैट/भुखण्ड व दुकान/हॉल/रो हाउस की शेष बकाया संपूर्ण राशि 30 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा एवं संपूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् ही सेलडीड/लीजडीड (रजिस्ट्री) की कार्यवाही की जावेगी तथा फ्लैट/भुखण्ड व दुकान/हॉल/रो-हाउस के सेलडीड/लीजडीड (रजिस्ट्री) के साथ ही भवन का आधिपत्य (कब्जा) दिया जावेगा। बिना आधिपत्य प्राप्त किए रजिस्ट्री निष्पादित नहीं की जावेगी।
- (20) संपदा अधिकारी द्वारा सूचना पत्र जारी करने अथवा कार्यपालन अभियंता द्वारा कमियों के निराकरण का सूचना पत्र जारी होने के पश्चात् आबंटी द्वारा अव्यवहारिक एवं अत्यंत छोटी-छोटी कमियों की आढ़ लेकर आधिपत्य लेने में आनाकानी की जाती है तो 30 दिवस के

पश्चात् और अतिरिक्त 30 दिवस कुल 60 दिवस का समय दिया जावेगा, किन्तु कमियों का निराकरण/ विवाद का समाधान न होने पर संबंधित अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी से अभिमत प्राप्त कर 60 दिवस की अवधि पश्चात् आबंटन निरस्त कर, पंजीयन/धरोहर राशि राजस्व से करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के वापस किया जावेगा।

- (21) विक्रित/आबंटित संपत्ति के अंतिम आबंटन दिनांक से ही संपत्ति में भारित होने वाले जल कर आबंटि से लिया जाना प्रभावशील होगा, यदि प्रकोष्ठ भवन है तो रखरखाव शुल्क, भी नियमानुसार लिया जावेगा।
- (22) प्राधिकरण द्वारा कॉलोनी का रखरखाव तथा जलप्रदाय, सीवर लाईन, रोड नाली की साफ सफाई एवं स्ट्रीट लाईट आदि संधारण का कार्य संपदा अधिकारी द्वारा आधिपत्य आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 05 वर्ष की अवधि तक रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा।
- (23) (अ) आबंटि, आधिपत्य पश्चात् आवासीय परिसर के रखरखाव हेतु गठित होने वाली वेलफेयर सोसायटी का सदस्य होगा।
- (ब) निर्मित भवनों में 51% व्यक्तियों द्वारा आधिपत्य प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् कॉलोनीवासियों एवं संबंधित कार्यपालन अभियंता द्वारा आपसी समन्वय कर 03 माह के भीतर वेलफेयर सोसायटी का गठन करना अनिवार्य होगा, 03 माह पश्चात् कॉलोनी का रखरखाव वेलफेयर सोसायटी द्वारा ही किया जायेगा।
- (24) 51% आधिपत्य पूर्ण होने के पश्चात् 03 माह में वेलफेयर सोसायटी का गठन नहीं होने पर आबंटियों के मध्य से प्रथम 10 आबंटित सदस्यों को कॉलोनी वासियों की वेलफेयर सोसायटी का कार्यवाहक सदस्य मानते हुए प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा पहल करते हुए, उक्त समिति का गठन कर निर्धारित प्रावधानों को पूर्ण कराया जावेगा।
- (25) समिति गठन होने के पूर्व जब तक कॉलोनी में प्राधिकरण द्वारा जल प्रदाय एवं भू-संधारण/रख-रखाव किया जावेगा तब तक समस्त आबंटि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित जलकर एवं भू-संधारण/ रख-रखाव शुल्क रायपुर विकास प्राधिकरण को देने हेतु बाध्य रहेंगे। यदि आबंटि द्वारा लगातार 03 माह तक जलकर एवं भू-संधारण/रख-रखाव शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो नल कनेक्शन काटने एवं रखरखाव से संबंधित अन्य सेवाओं को स्थगित रखने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र रहेगा। जलकर एवं भू-संधारण/रख-रखाव शुल्क में बढ़ोतरी/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा। संशोधित शुल्क समस्त आबंटियों को मान्य रहेगा।
- (26) व्यावसायिक परिसर, आवासीय फ्लैट्स योजना के अधीन आबंटित संपत्तियों का संधारण, साफ सफाई, नाली बिजली, पानी, रंगाई-पुताई और संपत्तियों का नियमित रूप से रखरखाव कार्य के लिए आबंटितियों को 18 माह (डेढ़ वर्ष) के भीतर एक समिति का गठन अनिवार्य रूप से करना होगा। समिति समस्त आबंटियों के सहयोग से उपरोक्त समस्त कार्यों का संचालन करेगी। समिति का पंजीयन छत्तीसगढ़ शासन के पंजीयन विभाग में कराना होगा तथा जिसकी रायपुर विकास प्राधिकरण को लिखित सूचना देना होगा। प्राधिकरण समिति को हस्तांतरण उपरांत ऐसे किसी भी आवासीय एवं व्यावसायिक परिसर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (27) रायपुर विकास प्राधिकरण स्तर पर प्रत्येक कॉलोनी के रख-रखाव हेतु आबंटियों से वसूल की गई राशि तथा व्यय राशि का लेखा संधारित किया जावेगा। रायपुर विकास प्राधिकरण से इस मद में कोई राशि प्रदान नहीं की जावेगी। यदि पूर्व में व्यय की गई राशि से संग्रहित राशि अधिक है तो विस्तृत विवरण संबंधित योजना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने पर रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अंतर की राशि हस्तांतरित की जावेगी। प्राधिकरण में संबंधित अधीक्षण अभियंता के अनुमोदन से इस मद में शुल्क की दर का निर्धारण करने तथा संधारण कार्य करने हेतु दायित्वाधिन होंगे।

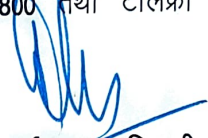
- (28) आबंटी आबंटित भू-खण्ड से अधिक क्षेत्रफल पर कब्जा नहीं करेगा अन्यथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- (29) यदि आबंटित भूखंड से लगी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है तो आबंटी की मांग पर प्राधिकरण नियमानुसार उस अतिरिक्त भूखंड पर आबंटन की कार्यवाही की जावेगी। अतिरिक्त भूखंड आबंटन करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित होगा। यदि प्राधिकरण चाहें तो उक्त अतिरिक्त भूखंड किसी अन्य हितग्राही को भी विक्रय/आबंटित कर सकता है, प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- (30) आबंटी, प्राधिकरण व स्थानीय निकाय से अनापत्ति/अनुमति प्राप्त किये बगैर भवन में किसी भी प्रकार के निर्माण, परिवर्तन/परिवर्धन नहीं कर सकेगा। निर्माण के पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण द्वारा अनुमति/अनापत्ति दी जावेगी। तत्पश्चात ही निर्माण वैध माना जावेगा।
- (31) आबंटित फ्लैट/भू-खण्ड/दुकान/हॉल/रो हाउस यदि लीज पर आबंटित है, प्राधिकरण नियमानुसार लीज रेंट हितग्राही को देय होगा तथा प्राधिकरण से अनुमति/अनापत्ति के बगैर आबंटित संपत्ति का विक्रय नहीं कर सकेगा।
- (32) आबंटी द्वारा फ्लैट/भू-खण्ड/दुकान/रो-हाऊस में अथवा कालोनी की भूमि पर प्राधिकरण की अनापत्ति के बगैर बोर खनन नहीं किया जावेगा एवं ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जावेगा जिससे की सार्वजनिक हित के कार्य/सेवा में कमी होती हो/बाधित होती हो अथवा कमी होने की बाधित होने की संभावना होती है। यदि ऐसा कोई भी कार्य आबंटी द्वारा किया जाता तो प्राधिकरण उक्त कार्य को रोकने/बंद करने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेगा।
- (33) पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता फोन नं. मोबाईल नं. ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से ऑनलाईन आवेदन फार्म में प्रविष्ट करें। अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना पत्र नहीं मिलने पर जवाबदारी रायपुर विकास प्राधिकरण की नहीं होगी।
- (34) भवन आबंटन के उपरांत किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र होगा।
- (35) ऐसी योजना/योजनाएँ जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते हैं, अथवा निर्माण कार्य में प्राधिकरण की ओर से विलंब होने पर योजना/योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना यदि प्राधिकरण हित में नहीं हो तो, पूर्ण योजना या योजना का कुछ भाग निरस्त करने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र होगा तथा इस कारण पंजीयनकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। पंजीयनकर्ताओं को उनकी जमा राशि पर प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार ब्याज देय होगा।
- (36) इस योजना को लेकर यदि कोई भूमि अथवा न्यायालयीन विवाद होता है तो योजना में विलंब हो सकता है, जिस हेतु पंजीयनकर्ताओं को पृथक से कोई ब्याज अथवा हानि के लिये मुआवजा नहीं दिया जायेगा। ऐसे विवादों के कारण यदि आबंटन रद्द भी होता है तो पंजीयनकर्ताओं को किसी भी प्रकार से ब्याज/हानि/मुआवजा नहीं मिलेगी। इन शर्तों को पंजीयनकर्ताओं को मंजूर है जानते हुये भवनों का आबंटन किया जाएगा एवं आबंटन के बाद कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- (37) पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए रायपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- (38) विक्रित संपत्तियों में दुकान, फ्लैट, हॉल की छत पर आबंटित का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (39) विक्रित संपत्ति को किसी भी प्रकार का विभाजन कर विक्रय नहीं किया जा सकेगा और ना ही ऐसी किसी अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाए।
- (40) आबंटितियों को शासन द्वारा प्रतिबंधित व्यवसाय, जिसमें मादक पदार्थ, ज्वलनशील व विस्फोटक सामग्रियाँ, कपन व शोर करने वाली मशीनें, किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करने वाला तथा जन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। यदि आबंटित

द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है तो उसके विरुद्ध शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई करते हुए उसका आबंटन रद्द कर दिया जाएगा।

- (41) आबंटितियों द्वारा आबंटन के संबंध में समस्त नियम और शर्तों का पालन करना होगा। अपालन की स्थिति में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि संपत्ति का आबंटन निरस्त कर दे। ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह भी अधिकार होगा कि वह आबंटिती के अनुरोध किए जाने पर गुण-दोषों के आधार पर पुनर्विचार कर अर्थदंड अधिरोपित कर संपत्ति आबंटन आदेश का प्रतिसंहरण (रद्द) कर सकेगा।
- (42) लीज पर आबंटित संपत्तियों के आबंटितियों को नियमानुसार हर वर्ष 10 जून तक निर्धारित भू-भाटक (Ground Rent) की राशि अनिवार्य रूप से प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। विलंब की स्थिति में उस पर 12% (बारह प्रतिशत) वार्षिक की दर से सरचार्ज राशि का भुगतान करना होगा।
- (43) लीज होल्ड संपत्ति को किसी अन्य को हस्तांतरित करने के पूर्व रायपुर विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसी अनुमति हेतु आबंटिति को तत्समय लागू हस्तांतरण शुल्क राशि इत्यादि का भुगतान प्राधिकरण को करना होगा।
- (44) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आबंटितियों की लीज होल्ड संपत्तियों को फ्री-होल्ड संपत्ति किए जाने का प्रावधान है। इस हेतु आबंटिति को कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन शुल्क जमा किए जाने पर संपत्ति को फ्री-होल्ड किया जा सकेगा।
- (45) संपत्ति की फ्री-होल्ड रजिस्ट्री होने के उपरांत आबंटिति को उसकी फोटो प्रति कार्यालय में रिकार्ड हेतु जमा करने पर प्रस्तुत आवेदन पर कार्यालय द्वारा संपत्ति धारण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- (46) यदि निविदादाता को 50 लाख रुपए से अधिक राशि का भूखंड क्रय करता है तो ऐसी स्थिति में उसे आयकर विभाग के आयकर अधिनियम 194 IA के अंतर्गत भूखंड की कुल राशि का 1% (एक प्रतिशत) राशि रायपुर विकास प्राधिकरण के PAN No-AAALR010712 पर जमा कर चालान की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
- (47) निविदादाता/आबंटिति को समय - समय पर भारत शासन, छत्तीसगढ़ शासन और स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए अधिनियम, नियम, उपनियम, आदेश, निर्देश, संकल्प निविदादाता/आबंटिति पर लागू होगा तथा अधिरोपित समस्त करों व अन्य शुल्क राशि का भुगतान स्वयं करना होगा।
- (48) आबंटितियों को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 व यथा संशोधित नियम, भूमि विकास अधिनियम, नियम, उपनियम, आदेश, निर्देश, संकल्प का पालन करना होगा।
- (49) निविदा या पंजीयन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में निविदादाता/आबंटिति को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

सुझाव:-

- (1) निविदा से पहले संपत्ति का स्थल निरीक्षण करें – संपत्ति क्रय करने इच्छुक व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व संपत्तियों का स्थल पर जा कर अवलोकन करें। जिससे उन्हें किसी प्रकार का संशय या भ्रम न हो तथा वे अपनी आवश्यकता, बजट व पसंद के अनुसार उचित संपत्ति क्रय कर सकें।
- (2) ब्रोकर, दलालों से बचें – संपत्ति क्रय करने के संबंध में प्राधिकरण ने कोई ब्रोकर, एजेंट या दलाल की नियुक्त नहीं की है। संपत्ति के संबंध में ऐसे लोगों के बहकावे में न आएं। संपत्ति के संबंध में विस्तृत व उचित जानकारी के लिए रायपुर विकास प्राधिकरण के मार्केटिंग शाखा से कार्यालय में संपर्क करें। यहां संपत्ति क्रय करने के संबंध में विस्तृत विवरण और निविदा/आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इस हेतु रायपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट <https://rdaraipur.cgstate.gov.in> तथा मोबाईल नंबर 72249-80800 तथा टोलफ्री नंबर 1800-233-7188 पर संपर्क किया जा सकता है।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर (छत्तीसगढ़)